न्यायालय उपखण्डाधिकारी बसेड़ी

प्रकरण संख्या0 44/23

1. ग्याचंन्द
2. ग्याजीत
3. पतिराम

पुत्रगण भूपसिंह जातिवान कुशवाह निवासी बलदेव का पुरा रैवियापुरा तहसील बसेड़ी जिला धौलपुर।

..... वादीगण

बनाम

1. लालकिशन पुत्र इन्द्रसिंह
2. ताराचंन्द पुत्र अजब सिंह
3. राधाकिशन पुत्र अजब सिंह
4. सन्तकुमार पुत्र अजब सिह

जातिवान कुशवाह निवासीगण बलदेव का पुरा रैवियापुरा तहसील बसेड़ी जिला धौलपुर।

.....प्रतिवादीगण

5. दीवान सिंह पुत्र सोवरनसिंह जाति कुशवाह निवासी बलेदव का पुरा रैवियापुरा तहसील बसेड़ी जिला धौलपुर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसेड़ी।

वादपत्र अधीन धारा 88,188 आर.टी. एक्ट

पीठासीन अधिकारी –सुरेन्द्र प्रसाद (आर.ए.एस.)
वकील वादी – श्री राजवीर ए0डी0,
वकील प्रतिवादी – एकपक्षीय

दिनांकः– 21.11.2025

निर्णय

हस्तगत प्रकरण में वकील वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त आराजी स्थित वाके ग्राम रैवियापुरा में जमाबंदी सम्वत 2074 से 2077 के अनुसार खाता संख्या 204 के खसरा नम्बर 2032 रकवा 0.8400 है0 व इसी प्रकार खाता संख्या 505 के खसरा नम्बर 2039 रकवा 0.9500 है0 इस खाते में अन्य खसरा नम्बर भी दर्ज है परन्तु सम्पूर्ण खाते में केवल एक खसरा नम्बर 2039 ही विवादित होने के कारण इसका वर्णन किया गया है उक्त दोनों ही खसरा नम्बर एक दूसरे से सटी हुई आराजी है एक ही मेड पर स्थित है दावे की आगामी मदों में उक्त आराजी खसरा नम्बर को विवादित आराजी के नाम से संबोधित किया गया है हाल जमाबंदी खसरा नम्बर 2032 वादीगण व खसरा नम्बर 2039 प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। उक्त वादग्रस्त आराजी वादीगण की पैत्रिक आराजी है व दौनो ही खसरा नम्बर एक–दूसरे से लगे हुए है उक्त दोनों ही विवादित खसरा नम्बर में मूल विवाद बन्दोवस्त कर्मचारियों द्वारा भूलवश वादीगण के कब्जे का खसरा नम्बर 2039 रकवा 0.9500 है0 प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दिया व इसी प्रकार प्रतिवादीगण के कब्जे का खसरा नम्बर 2032 रकवा 0.8400 है0 हम वादीगण के नाम दर्ज कर दिया है जबकि आज तक हम वादीगण व प्रतिवादीगण अपने–अपने नम्बरान पर मौके पर काविज हाकेर काश्त करते चले आ रहे है। अरसा 20 दिन पूर्व प्रतिवादीगण ने वादीगण को धमकी दी कि खसरा नम्बर 2039 हमारे नाम बोल रहा है अब हम तुम्हारे खेत व मकान पर लठ्ठ के बल पर जबरन कब्जा करेंगे। बाद धमकी के वादीगण ने प्रतिवादीगण के कब्जे के नम्बरान की पुरानी नकलें धौलपुर रिकॉर्ड रूम से निकलवाई तो पता चला कि बन्दोवस्त कर्मचारियों से साजकर प्रतिवादीगण के पूर्व पुरूषों

उपखण्ड अधिकारी
बसेड़ी (धौलपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner

द्वारा द्वारा हम वादीगण का कब्जे का हाल खसरा नम्बर 2039 रकवा 0.9500 है0 है। जो प्रतिवादीगण के हाल कब्जे वाले खसरा नम्बर 2032 रकवा 0.8400 है0 है से लगभग 0.1100 है0 बडा होने के कारण साजिसन अपने नाम चढ़वा लिया है जैसा कि बंदोवस्त 2022 से पूर्व की जमाबंन्दियों में सही दर्ज है। प्रतिवादीगण द्वारा बन्दोवस्त कर्मचारियों से साजकर हम वादीगण के कब्जे वाले नत्बर पर उनके नाम के बलत इन्द्राजात को जरिए न्यायालय हटवाने व नाम करवाने का पूरा अधिकार है। इसी प्रकार वादीगण को यह भी अधिकर है कि व जरिए न्यायालय प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करावे कि वादीगण की कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की दखलनंदाजी नही करें।

वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना की है कि:-

दावा वादी इस प्रकार डिकी किया जावे कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 2032 व 2039 वाके ग्राम रैवियापुरा में हम वादीगण के कब्जे वाले खसरा नम्बर 2039 रकवा 0.9500 से प्रतिवादीगण का नाम हाल रिकॉर्ड से तर्क कर हम वादीगण के नाम चढ़या जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि गलत इन्दाजात का लाभ लेकर वादीगण को उसके कब्जे काश्त से बेदखल नही करें न अन्य किसी से करावें।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये संम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 बाबजूद सूचना के हाजिर अदालत न होने पर प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी 6 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसेड़ी को जबाव हेतु लिखा गया। तहसीलदार बसेड़ी ने अपने जबाव में अवगत कराया है कि मौके पर ग्याचंद पुत्र भूपसिंह बगैरा खसरा न. 2039 पर काबिज होकर काश्त कर रहे है एवं मकान बना कर रह रहे है तथा प्रतिवादीगण लालकिशन पुत्र इन्द्रसिंह बगैरा खसरा नम्बर 2032 पर काबिज होकर काश्त कर रहे है एवं मकान बना कर रहे रहे है। परन्तु वर्तमान रिकॉर्ड राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार खसरा न. 2039 पर लालकिशन पुत्र इन्द्रसिंह बगैरा दर्ज रिकॉर्ड है तथा खसरा नम्बर 2032 पर ग्याचंद पुत्र भूपसिंह बगैरा दर्ज रिकॉर्ड है। तथा पूर्व राजस्व रिकॉर्ड संवत 1997 व 2017 में वादी व प्रतिवादीगण का राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार ही कब्जा बदस्तूर चला आ रहा था परन्तु सन 2005 से 2025 के बन्दोवस्त में कब्जे से विपरित सहवन से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है जिसको कब्जा व पूर्व रिकॉर्ड अनुसार खसरा नम्बर 2039 पर गयाचंद पुत्र भूपसिंह बगैरा व खसरा नम्बर 2032 पर लालकिशन पुत्र इद्रसिंह बगैरा का नाम राजस्व रिकॉर्ड किया जाना उचित है। साक्ष्य वादी में पी.डब्ल्यू 1 वादी ग्याचंद पुत्र भूप सिंह के बयान लेखबद्ध किये गये। पी.डब्लू 2 में राजेन्द्र पुत्र मंगल सिंह व पी. डब्लू 3 में पप्पू पुत्र हरिसिंह के बयान लेखबद्ध किये गये। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबदी सम्वत 2074–77, 2054–57, 2016–20, 2020–22, 2012–15, नकल मिशल बन्दोवस्त 2022, 2005–25, नकल मिलान क्षेत्रफल 2005–25, नकल दोहरे खसरा नम्बर 2017 इत्यादि दावा में पेश किये है।

विद्वान अधिवक्ता वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गयी हमने बहस का मनन किया पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया गया। दोहरे खसरा नम्बर सम्वत 2017 के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा 1275 रकवा 4 बीघा खसरा नम्बर 1174 से बना है। जो अजब सिंह बगैरा प्रतिवादी के पूर्वजों के नाम दर्ज है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 1276 रकवा 4 बीघा 10 विस्वा खसरा नम्बर 1175 से बना है जो भूपसिंह बगैरा वादीगण के पूर्वजों के नाम दर्ज है। इसी प्रकार भू–प्रबंध विभाग सम्वत 2022 में भी खसरा नम्बर 1275 प्रतिवादीगण के पूर्वजों के नाम दर्ज है तथा खसरा नम्बर 1276 वादीगण के पूर्वजों के नाम दर्ज है। भू–प्रबंध विभाग सम्वत 2022 के बाद की जमाबंदी सम्वत 2054 से 2057 में खसरा नम्बर खसरा नम्बर 1276 रकवा 3 बीघा 14 विस्वा जो वादीगण के पूर्वजों के नाम होना चाहिए था जो प्रतिवादीगण के पूर्वजों के नाम दर्ज हो गया है इसी प्रकार खसरा नम्बर 1275 रकवा 3 बीघा 6

उपखण्ड अधिकारी
बसेड़ी (धौलपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner

जो प्रतिवादीगण के पूर्वजों नाम होना चाहिए था जो वादीगण के पूर्वजों के नाम दर्ज हो गया है। उक्त अशुद्धि की पुनावृति हाल बन्दोवस्त 2005 से 2025 में जारी रखते हुए खसरा नम्बर 1276 से बने नवीन खसरा नम्बर 2039 को प्रतिवादीण के नाम जारी रखा। इसी प्रकार 1275 से बने नवीन खसरा नम्बर 2032 को वादीगण के नाम जारी रखा। जबकि असल में बन्दोवस्त सम्वत 2022 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 2039 वादीगण के नाम दर्ज होना चाहिए था। इसी प्रकार खसरा नम्बर 2032 प्रतिवादीगण के नाम दर्ज होना चाहिए था। पत्रावली के समग्र अवलोकन तथा जबाव तहसीलदार बसेड़ी के अवलोकन पश्चात मेरी राय में वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाना न्याय संगत प्रतीत होता है।

अतः दावा वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वाद पत्र डिक्री किया जाकर आदेश दिये जाते है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 2039 रकवा 0.9500 है0 स्थित बाके ग्राम रैवियापुरा तहसील बसेड़ी में प्रतिवादीण 1 लगायत 4 के स्थान पर वादीगण को तथा खसरा नम्बर 2032 रकवा 0.8400 है0 बाके ग्राम रैवियापुरा तहसील बसेड़ी में वादीगण के स्थान पर प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादी व प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत बेजा नही करे और नही किसी नोकर या ऐजेन्ट द्वारा करावें। खर्चा फरीकेन अपना–अपना बहन करेगें। पर्चा डिक्री जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक 21.11.2025 को यह फैंसला मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी
बसेड़ी(धौलपुर)

उपखण्ड अधिकारी
बसेड़ी (धौलपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner

डिगरी व मुकदमे की इब्तदाई

(ओ 20 ए 6–7 जाब्ता दीवानी)

(civil procedur coud appendix D-1)

जज अदालत उपखण्डाधिकारी मुकाम बसेडी

इजलास सुरेन्द्र प्रसाद (आर.ए.एस.)

ग्याचंद बगैरा बनाम लालकिशन बगैरा

विस्तृत उनवान पुस्त पर दर्ज है
दावा बावत् अधीन
अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी. एक्ट

मुकदमा नम्बर 44/23

वादी की की ओर से श्री राजवीर परमार एडवोकेट की उपस्थित में इस वाद में आज तारीख 21.11.2025 को सुरेन्द्र प्रसाद (आर.ए.एस.)

अतः दावा वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वाद पत्र डिक्री किया जाकर आदेश दिये जाते है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 2039 रकवा 0.9500 है0 स्थित बाके ग्राम रैवियापुरा तहसील बसेड़ी में प्रतिवादीण 1 लगायत 4 के स्थान पर वादीगण को तथा खसरा नम्बर 2032 रकवा 0.8400 है0 बाके ग्राम रैवियापुरा तहसील बसेड़ी में वादीगण के स्थान पर प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादी व प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत बेजा नही करे और नही किसी नोकर या ऐजेन्ट द्वारा करावें। खर्चा फरीकेन अपना–अपना बहन करेगें।

(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी
बसेड़ी

वादी		प्रतिवादी	
	रूपये		रूपये
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3.प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4.....रूपये पर प्लीडर की फीस 5.साक्षियों के लिए निर्वाह –व्यय 6.कमिश्नर की फीस 7.आदेशिका की तामील	–	–	–
जोड		जोड	

उपखण्ड अधिकारी
बसेड़ी

Scanned with OKEN Scanner

डिगरी व मुकदमे की इब्तदाई

(ओ 20 ए 6–7 जाब्ता दीवानी)

(civil procedure code appendix D-1)

जज अदालत उपखण्डाधिकारी मुकाम बसेड़ी

इजलास सुरेन्द्र प्रसाद (आर.ए.एस.)

ग्याचंद बनाम लालकिशन बगैरा

1. ग्याचंन्द
2. ग्याजीत
3. पतिराम

पुत्रगण भूपसिंह जातिवान कुशवाह निवासी बलदेव का पुरा रैवियापुरा तहसील बसेड़ी जिला धौलपुर।

..... वादीगण

बनाम

1. लालकिशन पुत्र इन्द्रसिंह
2. ताराचंन्द पुत्र अजब सिंह रैवियापुरा
3. राधाकिशन पुत्र अजब सिंह
4. सन्तकुमार पुत्र अजब सिह

जातिवान कुशवाह निवासीगण बलदेव का पुरा तहसील बसेड़ी जिला धौलपुर।

.....प्रतिवादीगण

5. दीवान सिंह पुत्र सोवरनसिंह जाति कुशवाह निवासी बलेदव का पुरा रैवियापुरा तहसील बसेडी जिला धौलपुर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसेड़ी।

..... प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी. एक्ट

पीठासीन अधिकारी–सुरेन्द्र प्रसाद (आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी
बसेड़ी

Scanned with OKEN Scanner